ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1983

(1983 का अधिनियम संख्यांक 41)

[25 दिसम्बर, 1983]

उपलभ्य अवसंरचना का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और ट्रासंफार्मरों और स्विचगियरों तथा अन्य संबंधित विद्युत् उपस्करों के उत्पादन का आधुनिकीकरण और उसमें वृद्धि करने की दृष्टि से, जिससे कि पूर्वोक्त वस्तुओं का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, निरतंर प्रदाय सुनिश्चित करके, जनसाधारण का हितसाधन किया जा सके, ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगियर लिमिटेड, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची में, "विद्युत उपस्करों" शीर्षक के अधीन वर्णित कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई है ;

और कम्पनी कई वर्षों से भारी घाटा उठा रही थी जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के कर्मकारों की बहुसंख्या की कामबंदी कर दी गई और कम्पनी के कार्यकलाप का प्रबंध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो कंपनी के हितों और लोकहित के लिए अहितकर है ;

और कंपनी के उपक्रमों की उपलभ्य अवसंरचना का और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए और उक्त उपक्रमों द्वारा ट्रांसफार्मरों, स्विचगियरों और अन्य संबंधित विद्युत उपस्करों के उत्पादन के आधुनिकीकरण और वृद्धि के लिए भारी रकम के विनिधान की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसा विनिधान कराने में समर्थ बनाने के लिए, जिससे कंपनी के उपक्रमों द्वारा उपरोक्त वस्तुओं का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है, उत्पादन और प्रदाय जारी करा कर सर्वसाधारण का हितसाधन किया जा सके, यह आवश्यक है कि ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगियर लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन कर लिया जाए ;

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1983 है ।

(2) यह 8 नवम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एण्ड्रयू यूल" से एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता, अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ;

(ख) "नियत दिन" से 8 नवम्बर, 1983 अभिप्रेत है ;

(ग) "आयुक्त" से धारा 14 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(घ) "कंपनी" से ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 21, गिन्डी रोड, अडयार, मद्रास-600020 में है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस उपबन्ध के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ज) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन और अतंरण

3. कंपनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अंतरण और उसमें निहित होना—नियत दिन को, कंपनी के उपक्रम और उसके उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कंपनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम संपत्तियां, जिनके अंतर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर भी हैं, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही-ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे, और तत्संबंधी सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें भी हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों ।

(2) यथापूर्वोक्त समस्त संपत्तियां जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित हो जाने के बल पर किसी भी न्यास, बाध्यता, बन्धक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश की बाबत, जो ऐसी संपत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करता है, यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बंधकदार और किसी ऐसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का बंधकदार या किसी ऐसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम में से, और धारा 8 के अधीन अवधारित रकम में से भी बन्धक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा, किन्तु ऐसा कोई बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) ऐसे किसी उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, कंपनी को नियत दिन से पूर्व किसी समय अनुदत्त और नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए ऐसी तारीख को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार प्रवृत्त बनी रहेगी और उपक्रम के धारा 6 के अधीन एण्ड्रयू यूल में निहित होने की तारीख से ही, उस कम्पनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गई है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत एण्ड्रयू यूल को अनुदत्त की गई थी और ऐसी कम्पनी उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए वह कंपनी उसे उसके निबंधनों के अनुसार धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को किसी संपत्ति के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, कंपनी द्वारा संस्थित या उसके विरुद्ध लाया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लम्बित है तो कंपनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम की किसी बात के कारण, उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एण्ड्रयू यूल में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं वहां एण्ड्रयू यूल द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. पूर्व दायित्वों के लिए केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल का दायी न होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कंपनी का प्रत्येक दायित्व, कंपनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एण्ड्रयू यूल में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां उस कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस धारा या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कम्पनी का काई दायित्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एण्ड्रयू यूल में निहित होने के लिए निदेशित है, वहां उस कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कंपनी के उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो उस दिन के पूर्व उत्पन्न हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एण्ड्रयू यूल में निहित होने के लिए निदेशित हैं, वहां उस कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के नियत दिन के पूर्व किए गए उल्लंघन के लिए उपगत कंपनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एण्ड्रयू यूल में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां उस कम्पनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. कंपनी के उपक्रमों के एण्ड्रयू यूल में निहित किए जाने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कंपनी के उपक्रम और कंपनी के उपक्रमों के संबंध में उसका अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, या तो अधिसूचना की तारीख को या ऐसी किसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तारीख को (जो नियत दिन से पहले की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एण्ड्रयू यूल में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कंपनी के उपक्रमों के संबंध में उसका अधिकार, हक और हित उपधारा (1) के अधीन एंड्रयू यूल में निहित हो जाते हैं, वहां एण्ड्रयू यूल ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही एण्ड्रयू यूल के अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

7. रकम का संदाय—केन्द्रीय सरकार कंपनी के उपक्रमों का और कंपनी के उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक तथा हित का धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरण करने और उन्हें उसमें निहित करने के लिए कंपनी को अठहत्तर लाख छब्बीस हजार रुपए की रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से देगी ।

8. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अवधारित रकम, कंपनी को, उस रकम के अतिरिक्त, देगी जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट है ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कंपनी के उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसके दायित्वों का उन्मोचन कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार धारा 7 में निर्दिष्ट रकम में से और उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम में से भी, किया जाएगा ।

अध्याय 4

कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध आदि

9. कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध, आदि—कंपनी के उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबंध, जहां केन्द्रीय सरकार ने धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां एण्ड्रयू यूल में निहित होगा ; और तब एण्ड्रयू यूल सभी अन्य व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य करने की हकदार होगी जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को, अपने उपक्रमों के संबंध में करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है ।

10. कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां, आदि परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध एण्ड्रयू यूल में निहित हो जाने पर, ऐसे निहित होने से ठीक पूर्व कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति, एण्ड्रयू यूल को कंपनी के उपक्रमों से संबंधित ऐसी सभी आस्तियां, लेखा-बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें, जो उनकी अभिरक्षा में हों, परिदत्त करने के लिए बाध्य होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, एण्ड्रयू यूल को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और यदि वह कंपनी ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिसमें कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध संचालित किया जाएगा या किसी ऐसे विषय के बारे में, जो ऐसे प्रबंध के दौरान उत्पन्न हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन भी कर सकेगी ।

11. अपने कब्जे में की आस्तियों, आदि का लेखा-जोखा देने के लिए व्यक्तियों का कर्तव्य—(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में नियत दिन को कंपनी के स्वामित्वाधीन किन्हीं उपक्रमों से संबंधित, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल में निहित हो गए हैं, कोई ऐसी आस्तियां, बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजात हैं जो कंपनी के हैं या जो उस दशा में

उसके होते यदि कंपनी के स्वामित्वाधीन उपक्रम केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल में निहित न हुए होते, केन्द्रीय सरकार को या एण्ड्रयू यूल को उक्त आस्तियों, बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागजपत्रों का लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और वह उन्हें केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल ऐसे सभी उपक्रमों का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा एण्ड्रयू यूल में निहित हो गए हैं, कब्जा प्राप्त करने के लिए, सभी आवश्यक कदम उठा सकेगी या उठवा सकेगी ।

(3) कंपनी, ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, उस सरकार को उन उपक्रमों से संबंधित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, नियत दिन को यथा विद्यमान अपनी समस्त संपत्तियों और आस्तियों की एक पूर्ण सूची देगी और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल कम्पनी को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगी ।

अध्याय 5

कंपनी के कर्मचारियों का बारे में उपबंध

12. कर्मचारियों का बने रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के किसी उपक्रम में नियोजित रहा है,—

(क) नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो जाएगा, और

(ख) जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन एण्ड्रयू यूल में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं वहां ऐसे निहित होने की तारीख से ही एण्ड्रयू यूल का कर्मचारी हो जाएगा,

और पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल के अधीन वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस स्थिति में अनुज्ञेय होते यदि ऐसा निधान न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर देती है ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के उपक्रमों में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल को अन्तरण ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ग्रहण नहीं करेगा ।

13. भविष्य-निधि और अन्य निधियां—(1) जहां कंपनी ने कंपनी के किन्हीं उपक्रमों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य-निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की हैं, वहां ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्तरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां, ऐसी भविष्य-निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के संबंध में जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार को या एण्ड्रयू यूल को अन्तरित हो गई हैं उस सरकार या उस कंपनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

14. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 7 और धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षत: प्रदान की गई हैं, प्राधिकार के रूप में नहीं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

15. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कंपनी को संदाय करने के लिए आयुक्त को, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर, उतनी रकम नकद देगी जो—

(क) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर है, और

(ख) धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के बराबर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त प्रत्येक रकम, उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त कम्पनी के उन उपक्रमों की बाबत जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय किया गया है, अभिलेख रखेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकमों पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

16. केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया ऐसा धन, जो किसी कंपनी को उसके उन उपक्रमों के संबंध में शोध्य है, जो केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल में निहित हो गए हैं, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार, इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से संबंधित है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के संबंध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कंपनी के किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा नियत दिन के पश्चात् किया जाए और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल ने किया है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के संबंध में कम्पनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, कंपनी के दायित्व होंगे ।

17. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के उपक्रमों से संबंधित, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का सामाधन हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर दावा ग्रहण कर सकेगा किन्तु, उसके पश्चात् नहीं ।

18. दावों की पूर्विकता—धारा 17 के अधीन किए गए दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग 1 को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग 2 को प्रवर्ग 3 पर अग्रता दी जाएगी, और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णत: संदाय किया जाएगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णत: चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे आनुपातिक रूप में कम कर दिए जाएंगे और उनका तद्नुसार संदाय किया जाएगा ; तथा

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के उन्मोचन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

19. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 17 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और उक्त पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत किसी दावे की परीक्षा करे ।

20. दावों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना, अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक समाचारपत्र के ऐसे एक अंक में, जिसका देश के अधिकांश भाग में परिचालन है, तथा ऐसी प्रादेशिक भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जिसे आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक है और कंपनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा दावे को पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठकें कर सकेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकता है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां, अपील मद्रास उच्च न्यायालय को होगी और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

21. आयुक्त द्वारा दावेदारों को रकम का संवितरण—(1) इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकम शोध्य है और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कंपनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

22. कम्पनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में आयुक्त को संदत्त धन में से अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों के अनुसार दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो वह ऐसे अतिशेष का संवितरण कंपनी को करेगा ।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल में निहित हो गया है, किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति ऐसी कम्पनी की नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर बनाए रखे जिनके अधीन वे नियत दिन से ठीक पूर्व कम्पनी के कब्जे में थी ।

23. असंवितरित या दावा न की गई रकम का साधारण राजस्व खाते में निक्षिप्त किया जाना—आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, जिसको आयुक्त का पद अन्तिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, असंवितरित रहता है, या जिसके बारे में उस तारीख को कोई दावा नहीं किया जाता है तो वह आयुक्त के पद के अंतिम रूप में परिसमाप्त किए जाने से पूर्व, आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते को अंतरित किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अंतरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अंतरण ही नहीं किया गया था और दावे के संदाय के लिए किया गया आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिसंदाय के लिए किया गया, आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

25. संविदाओं का तब तक प्रभावी न होना जब तक कि केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल द्वारा उनका अनुसमर्थन नहीं किया जाता—कंपनी द्वारा अपने उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उस अवधि की समाप्ति के पूर्व केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल, जिसमें ऐसे उपक्रम इस अधिनियम के अधीन निहित किए गए हैं, लिखित रूप में, अनुसमर्थन नहीं कर देती है और केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में उसमें ऐसा परिवर्तन या उपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण तब तक नहीं करेगी जब तक—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे देती है और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देती है ।

26. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उस सरकार या एण्ड्रयू यूल के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या उसके अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी के या एण्ड्रयू यूल के या केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

27. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग, जो इस धारा, धारा 30 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न हैं, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह व्यक्ति जिसको ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

28. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसको प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) कम्पनी के उपक्रमों से संबंधित किसी ऐसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, जानबूझकर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल अथवा उस सरकार या एण्ड्रयू यूल द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा ; या

(घ) कम्पनी के उपक्रमों से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा-बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या एण्ड्रयू यूल या उस सरकार या एण्ड्रयू यूल द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परिदत्त करने में असफल रहेगा ; या

(ङ) कम्पनी के उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा ; या

(च) इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह मिथ्या या बिलकुल गलत है,

वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

29. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरादायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।

30. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन को कोई सूचना आयुक्त को दी जाएगी ;

(ख) वह रीति जिससे धारा 13 के अधीन किसी भविष्य-निधि या अन्य निधि में जमा धन की बाबत कार्रवाई की जाएगी ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

31. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

32. निरसन और व्यावृत्ति—(1) ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 11) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

(धाराएं 17, 19, 20 और 22 देखिए)

कम्पनी के दायित्वों के उन्मोचन के लिए पूर्विकताओं का क्रम

प्रवर्ग 1

(क) कम्पनी के कर्मचारियों को देय मजदूरियां, वेतन और अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा अभिदाय, भारतीय जीवन बीमा निगम संबंधी प्रीमियम के लिए या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों के वेतन और मजदूरियों से की गई कटौतियां ।

(ग) भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, जीवन बीमा निगम प्रीमियम में कम्पनी द्वारा किए जाने वाले अभिदायों से संबंधित बकाया और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अन्य बकाया (जिसमें उपदान नहीं है) ।

प्रवर्ग 2

निम्नलिखित द्वारा दिए गए प्रतिभूत उधारों की मूल रकम, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार ;

(ii) राज्य सरकार ;

(iii) बैंक ;

(iv) लोक वित्तीय संस्थाएं ;

(v) अन्य ।

प्रवर्ग 3

निम्नलिखित द्वारा दिए गए अप्रतिभूत उधारों की मूल रकम, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार ;

(ii) राज्य सरकार ;

(iii) बैंक ;

(iv) लोक वित्तीय संस्थाएं ।

प्रवर्ग 4

(क) किन्हीं व्यापारिक या विनिर्माण संबंधी संक्रियाओं को करने के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा उपभुक्त कोई ऋण ।

(ख) माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए राज्य विद्युत बोर्डों या अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं को देय कोई शोध्य रकमें ।

(ग) उधारों और अग्रिम धनों पर ब्याज की बकाया ।

प्रवर्ग 5

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) कोई अन्य उधार या शोध्य रकमें ।

———